Recently the statement given by the US Ambassador and Microsoft Chief, Bill Gates, created panic in the country. I, therefore, once again urge upon the Government to come forward immediately to check this.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 2002-03

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs to lay on the Table Supplementary Demands for Grants (General) 2002-03.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GINGEE N. RAMACHANDRAN): Madam, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Second Batch of the Supplementary Demands for Grants (General) for the year 2002-2003.

GOVERNMENT BILLS

The Cable Television Networks (Regulation) Amendment Bill, 2002

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): उपसभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि :

> "केबल टेलिविज़न नेट वर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप मे, विचार किया जाए।"

उपसभापति जी, प्रारंभ में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि यह बिल जब कानून बन जाएगा तो केबल उपभोक्ताओं की दशा सुधारने में यह एक मील का पत्थर साबित होगा और भारत में समूचे केबल उद्योग को व्यवस्थित करने के लिए याद भी किया जाएगा। आप यह जानती हैं कि भारत में केबल उद्योग का विकास बहुत अव्यवस्थित तरीके से हुआ है। 1995 से पहले तो कोई कानून ही नहीं था, कोई नियम, उपनियम केबल को नियंत्रित करने के लिए नहीं थे। सारे चैनल्स फ्री टू एयर थे..।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We were under Telegraph Act.

श्रीमती सुषमा स्वराज : जी बिल्कुल। टेलिग्राफ एक्ट में किसी तरह की सोच ही नही थी क्योंकि कोई एंटीसिपेट ही नहीं कर सकता था जब टेलिग्राफ एक्ट बना था कि किस तरह से